भारत सरकार
पर्यटन मंत्रालय
लोक सभा
लिखित प्रश्न सं. †4274
सोमवार, 27 मार्च, 2023/6 चैत्र, 1945 (शक)
को दिया जाने वाला उत्तर

चिकित्सा पर्यटन के बारे में जागरूकता बढ़ाने हेतु प्रस्ताव

†4274. श्री दयानिधि मारनः

क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने विशेषकर तमिलनाडु में चिकित्सा पर्यटन के बारे में विश्वस्तर पर प्रचार करने और जागरूकता बढ़ाने के लिए कोई नीति या प्रस्ताव बनाया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार का चिकित्सा पर्यटन की पहुंच बढ़ाने का विचार है, जिससे स्वास्थ्य क्षेत्र को नए अवसर उपलब्ध हों;

(ग) क्या सरकार ने पिछले पांच वर्षों के चिकित्सा पर्यटन क्षेत्र के आंकड़ों के संबंध में कोई परामर्श या मूल्यांकन किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो सरकार द्वारा इसकी निगरानी के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

पर्यटन मंत्री (श्री जी. किशन रेड्डी)

(क): तमिलनाडु राज्य सहित देश में चिकित्सा पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए मंत्रालय ने चिकित्सा और निरोगता पर्यटन हेतु एक राष्ट्रीय कार्यनीति एवं रोडमैप तैयार किया है। इस कार्यनीति में निम्नलिखित प्रमुख स्तंभों को अभिज्ञात किया गया है:-

(i) निरोगता गंतव्य के रूप में भारत के लिए एक ब्रांड विकसित करना
(ii) चिकित्सा एवं निरोगता पर्यटन के लिए ईको सिस्टम को मज़बूत बनाना
(iii) ऑनलाइन मेडिकल वैल्यू ट्रैवल (एमवीटी) पोर्टल की स्थापना द्वारा डिजीटलीकरण को संभव बनाना
(iv) मेडिकल वैल्यू ट्रैवल के लिए पहुँच में वृद्धि करना
(v) निरोगता पर्यटन को बढ़ावा देना
(vi) शासन एवं संस्थागत कार्यढाँचा

(ख) से (घ): भारत सरकार ने दिनांक 30.11.2016 को मंत्रिमंडल के अनुमोदन के अनुसरण में ई-पर्यटक वीज़ा योजना का उदारीकरण किया और ई-पर्यटक वीज़ा (ई टी वी) योजना का नाम बदलकर ई-वीज़ा योजना कर दिया गया और वर्तमान में इसमें ई-वीज़ा की उप-श्रेणियों के रूप में ई-चिकित्सा वीज़ा और ई-चिकित्सा सहयोगी वीज़ा शामिल हैं।

ई-चिकित्सा वीज़ा और ई-चिकित्सा सहयोगी वीज़ा के मामले में तीन बार प्रवेश की अनुमति है और प्रत्येक मामले के गुण-दोषों के मद्देनज़र मामला दर मामला आधार पर संबंधित विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण अधिकारी (एफआरआरओ)/विदेशी पंजीकरण अधिकारी (एफआरओ) द्वारा 6 माह तक का समय विस्तार प्रदान किया जा सकता है। चिकित्सा सहयोगी वीज़ा मूल ई-वीज़ा धारक के वीज़ा की वैधता अवधि के साथ ही समाप्त होगा।

वर्ष 2017-2021 के दौरान चिकित्सा के लिए आने वाले विदेशी पर्यटकों का विवरण निम्नानुसार हैः

वर्ष	चिकित्सा प्रयोजन (लाख में)
2017	4.95
2018	6.44
2019	6.97
2020	1.83
2021	3.04

स्रोतःआप्रवासन ब्यूरो (बीओआई)

इसके अतिरिक्त, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय से मिली सूचना के अनुसार वह देश में मैडिकल वैल्यू ट्रैवल के संवर्धन के लिए अन्य मंत्रालयों तथा हितधारकों के साथ समन्वय कर रहा है। इस क्षेत्र की चुनौतियों और अवसरों को चिह्नित करने के लिए संबंधित मंत्रालयों, अस्पतालों, एमवीटी सुविधाप्रदाताओं, बीमा कंपनियों और एनएबीएच आदि के साथ हितधारक परामर्शों के अनेक दौर आयोजित किए गए हैं।

*****